कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/55 आर० पी० एस० दि० 17-2-55

कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/10/64 सिब्बन्दी (घ) दि० 14-1-65

कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/10/63 सिब्बन्दी (घ) दि० 27-12-63

कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 44/1/59 सिब्बन्दी (क) दि० 15-4-59

गृह मंत्रालय द्वारा कोई नया आदेश नहीं निकाला गया है ।

दिल्ली में ग्रीनफील्ड्स कालोनी के प्लाट होल्डर

7604. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री राम चन्द्र वीरप्पा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 20 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5335 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के निकट ग्रीनफील्ड्स कालोनी के प्लाट होल्डरों को दिये गये कथित धोखे के बारे में सरकार ने जाँच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन तथ्यों का पता लगा है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि अब तक जांच पूरी नहीं की गई है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इन परिस्थितियों में तथा मामले के तथ्यों पर कालोनाइजर के विरुद्ध धोखाधड़ी तथा गबन का कोई अपराध स्थापित नहीं हो सका ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सड़क समिति

7605. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
कुमारी कमला कुमारी :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री 20 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5264 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क समिति नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह समिति कब तक नियुक्त की जायेगी ?

संसद कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). केन्द्रीय सड़क समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिये भर्ती सम्बन्धी योजना

7606. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 20 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5356 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी विशेष भर्ती वर्ष में भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की संख्या का अनुमान लगाने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों को भेजे गये पत्र के बारे में उन मंत्रालयों तथा विभागों की प्रतिक्रिया क्या है;

(ख) जिन मंत्रालयों तथा विभागों ने इस बारे में कार्यवाही की है, उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या संघ लोक सेवा आयोग की हिदायतों के बारे में मंत्रालयों आदि का ध्यान दिलाया गया है;

(घ) यदि हां, तो उन्हें कब हिदायतें दी गई और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो कब तक हिदायतें जारी किये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ङ). संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से 13 मार्च, 1969 को, इस विषय में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को पहले की हिदायतों को दोहराते हुए हिदायतें जारी की गई हैं और उनसे अनुरोध किया गया है कि :—

(क) भारी और यत्र-तत्र भर्ती से बचा जाय; और

(ख) किसी एक भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली अपेक्षित रिक्तियों की संख्या का ध्यानपूर्वक पूर्वानुमान किया जाय और समय रहते संघ लोक सेवा आयोग को सूचित किया जाय ताकि वे सम्भावी उम्मीदवारों की सूचना के लिए अपने नोटिस में, अधिसूचित कर सकें।

प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से हिदायतों का बहुत ही सावधानी से पालन करने की आशा की जाती है और इसलिए इस पर उनकी प्रतिक्रिया नहीं मांगी गई थी।

अशोक होटल्स लिमिटेड के चेयरमैन को सुविधायें

7607. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 20 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5346 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के नये चेयरमैन के वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधायें क्या हैं; और

(ख) होटल के वर्तमान चेयरमैन की सामान्य तथा विशेष योग्यताएं क्या हैं, इस पद के लिए चयन करने के लिए किन बातों को ध्यान में रखा जाता है और किस समिति द्वारा चयन किया जाता है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) अशोक होटल्स लिमिटेड के वर्तमान चेयरमैन को कोई वेतन, भत्ते या, बोर्ड/समिति की बैठकों में सम्मिलित होने के लिए निदेशकों को दी जाने वाली फीस को छोड़कर, कोई अन्य सुविधाएं नहीं दी जातीं।

(ख) मौजूदा चेयरमैन 25 वर्ष का अनुभव रखने वाले एक बुद्धिजीवी एवं पत्रकार हैं। अशोक होटल्स लिमिटेड के "आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन" के अनुसार, निदेशकगण चेयरमैन को स्वयं अपने ही में से चुनते हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

7608. **श्री महाराज सिंह भारती :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में सड़कों के निर्माण के लिए बजट में नियत धनराशि को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिए 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि ग्राम्य सड़कों के लिए नियत धनराशि का अन्य सड़कों के लिए प्रयोग न किया जाये ?

संसद कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). संभवतया आदरणीय सदस्य का ध्यान जून, 1968 में मैसूर में हुए परिवहन विकास परिषद की पिछली बैठक में की गयी सिफारिशें हैं जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि राज्य सरकार ग्रामीण सड़कों के लिए धन नियत करने की मूल सीमा को सड़कों के लिये राज्य योजना आवंटनों के 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दें। यह सिफारिश अगस्त, 1968 में राज्य सरकारों को भेजी गई ताकि वे अपनी चौथी योजना के अधीन ग्रामीण सड़कों के विकास के लिये